

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-23.04.2024

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अंग्रेजी विषय के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 08.01.2024 को विचारित सूची जारी की गई थी।

उक्त विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है-

रोल नम्बर (टी.एस.पी. क्षेत्र)

3332789	3333058	3333724	3333814	3337213	3338134
3339263	3339907	3340318	3340507	3341385	3341735

TOTAL CANDIDATES:- 12

रोल नम्बर (नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र)

3200106	3200523	3201584	3202780	3203289	3205011
3206394	3208054	3209934	3215271	3226529	3229563
3231739	3232037	3238110	3238303	3239574	3240103
3240122	3242121	3242179	3242389	3249372	3250487
3250701	3252065	3252249	3253397	3253631	3255470
3256521	3261031	3261736	3261761	3262210	3262776
3263045	3263625	3263675	3264244	3264553	3265142
3265876	3268769	3268811	3271156	3273824	3273896
3276590	3279712	3282820	3288289	3288488	3292961
3292998	3294671	3295353	3295908	3295928	3296091
3296411	3296675	3299120	3299603	3304487	3304567
3305437	3305710	3310159	3311962	3312782	3312796
3313044	3319855	3320191	3320407	3322419	3322456
3322642	3323210	3323430	3324576		

TOTAL CANDIDATES:- 82

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जायेगी।

दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित हों। काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता

आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जायेगी।

(रामनिवास मेहता)
सचिव